



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 4, 2010/कार्तिक 13, 1932

No. 2298]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010/KARTIKA 13, 1932

| पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  |  | (1)          | (2)                                     |
|---|--|--------------|---|
| अधिसूचना  |  | 12.          | टौक्सोकारपस कानकेनोसिस हुक.एफ.          |
| नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2010   |  | 13.          | टौक्सोकारपस पालाघाटेंसिस गैम्बल         |
| का.आ. 2718(अ).—केन्द्रीय सरकार, जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक सरकार के परामर्श से कर्नाटक राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियां जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं, अधिसूचित करती है, अर्थात् :- |  | 14.          | वेन्डा ध्वैटेसी हुक.एफ.                 |
| सारणी   |  | 15.          | वन्दा विघटी आरसीएचवीएफ                  |
| क्र.सं.   | पौधों के नाम                             | 16.          | होपिया कनारेंसिस होले                   |
| (1)   | (2)                                      | पशुओं के नाम |   |
| पौधे  |  | 1.           | लेटिडेन्स सलीमल्ली, थोगलोन्या, 1974     |
| 1.  | बरलेरिया ग्रांडिफ्लोरा डालजेल            | 2.           | ओटोमोप्स राउटोनी, (थोमस, 1913)          |
| 2.  | ब्यूमोशिया जरडोनियाना वाइट               | 3.           | विवेरा सिबेटिना ब्लिथ, 1862             |
| 3.  | सेरोफेजिया डिकाइसनियाना वाइट             | 4.           | बोलैनोपेटेरा मस्क्युलस लिनियस, 1758     |
| 4.  | सिन्नामोमम गोएँसे कोस्टर्म               | 5.           | डुगांग डुगोन (मूलर, 1776)               |
| 5.  | होलिगरना बेडोमेई हुक.एफ.                 | 6.           | पैन्थेरा टाइग्रिस, लिनियस, 1758         |
| 6.  | इमपेशिएंस मैसूरेंसिस रौथ                 | 7.           | जिप्स बेंगालेंसिस (जीमेलिन, 1788)       |
| 7.  | इमपेशिएंस राजियाना भास्क                 | 8.           | जिप्स इंडिकस (स्कोपोली, 1786)           |
| 8.  | जस्टिशिया निलघरेन्सिस (नीस)सी.बी.क्लार्क | 9.           | डर्मोकैलिस कोरियासिया (वन्डेली, 1761)   |
| 9.  | मधुका इन्सिगनिस (रैडल्क) एच.जे.लैम       | 10.          | इरेट्मोकैलिस इम्ब्रिकेटा (लिनियस, 1766) |
| 10.   | फायलैन्थस तलबोटाई सेडगो                  | 11.          | फेजेरवारया मूर्ति पिल्लै, 1979          |
| 11.   | सेलेसिया मालाबारिका गैम्बल               | 12.          | इंदिराना गुडिया (डुबोइस, 1986)          |
|   |  | 13.          | इंदिराना फ्राइनोडर्मा (बोलेन्जर, 1882)  |
|   |  | 14.          | माइक्रिकसालस कोट्टिघेरेंसिस (राव, 1937) |
|   |  | 15.          | मालावार लार्ज स्पॉटेड सिवेट             |
|   |  | 16.          | लायन टेलड मर्कैक                        |

2. सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :—

- (क) वैज्ञानिक अनुसंधान;  
 (ख) वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय;  
 (ग) प्रचार; और  
 (घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण।

3. कर्नाटक राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्नलिखित का अपने ऊपर लेगा—

- (i) संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन;  
 (ii) यथासत और पूर्ववत संरक्षण तथा पुनर्वास के प्रयोजनों हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और  
 (iii) वन विभाग के कार्मिक, जैव विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

[फा. सं. 28-12/2008-सी एस-III]

हेम पाण्डे, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2010

S.O. 2718(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Karnataka, namely :—

**TABLE**

| Sl.No. | Name of the Plants                                  |
|--------|---|
| (1)    | (2)   |
| 1.     | <i>Barleria grandiflora</i> Dalzell                 |
| 2.     | <i>Beaumontia jerdoniana</i> Wight                  |
| 3.     | <i>Ceropegia decaisneana</i> Wight                  |
| 4.     | <i>Cinnamomum goaense</i> Kosterm                   |
| 5.     | <i>Holigarna beddomei</i> Hook.f.                   |
| 6.     | <i>Impatiens mysorensis</i> Roth                    |
| 7.     | <i>Impatiens raziana</i> Bhask.                     |
| 8.     | <i>Justicia nilgherrensis</i> (Nees)<br>C.B. Clarke |
| 9.     | <i>Madhuca insignis</i> (Radlk.) H. J. Lam.         |
| 10.    | <i>Phyllanthus talbotii</i> Sedgw                   |

| (1) | (2)  |
|-----|--|
| 11. | <i>Salacia malabarica</i> Gamble               |
| 12. | <i>Toxocarpus concanensis</i> Hook.f.          |
| 13. | <i>Toxocarpus palghatensis</i> Gamble          |
| 14. | <i>Vanda thwaitesii</i> Hook.f.                |
| 15. | <i>Vanda wightii</i> Rchb.f.                   |
| 16. | <i>Hopea canarensis</i> Hole                   |
|     | <b>Name of Animals</b>                         |
| 1.  | <i>Latidens salimalli</i> , Thonglongya, 1974  |
| 2.  | <i>Otomops wroughtoni</i> (Thomas, 1913)       |
| 3.  | <i>Viverra civettina</i> , Blyth, 1862         |
| 4.  | <i>Balaenoptera musculus</i> (Linnaeus, 1758)  |
| 5.  | <i>Dugong dugon</i> (Muller, 1776)             |
| 6.  | <i>Panthera tigris tigris</i> , Linnaeus, 1758 |
| 7.  | <i>Gyps bengalensis</i> (Gmelin, 1788)         |
| 8.  | <i>Gyps indicus</i> (Scopoli, 1786)            |
| 9.  | <i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)   |
| 10. | <i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766) |
| 11. | <i>Fejervarya murthii</i> Pillai, 1979         |
| 12. | <i>Indirana gundia</i> (Dubois, 1986)          |
| 13. | <i>Indirana phrynoderma</i> (Boulenger, 1882)  |
| 14. | <i>Micrixalus kottigeharensis</i> (Rao, 1937)  |
| 15. | Malabar Large Spotted Civet                    |
| 16. | Lion Tailed Macaque                            |

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Karnataka State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely :—

- (a) scientific research;  
 (b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;  
 (c) propagation; and  
 (d) any other scientific investigation.

3. The Karnataka State Biodiversity Board shall undertake :—

- (i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;  
 (ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and  
 (iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Jt. Secy.